

>

Title: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि लोक सभा सत्र में पूर्व गृहमंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मैं भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हूँ।